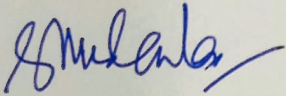


प्रतिपूरक बनीकरण करने सम्बन्धी बचनबद्धता

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड NH-30 (चैनेज 294.315 से 325.00 तक दायीं तरफ), NH-30 (चैनेज 325.00 से 341.00 तक दायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनेज 82.810 कि॰ मी॰ से चैनेज 114.265 कि॰ मी॰ तक दायीं तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि॰ मी॰ पर दायीं तरफ), पर जिला शाहजहाँपुर में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.0945 है॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रयोग की अनुमति हेतु प्रतिपूरक बनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रति पूरक बनीकरण कि लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः बनीकरण की बचन बद्धता के रूप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई जायगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायगा।



(जी. एच.वी. राव)

उप महाप्रबंधक - परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली

जी.एच.वी. राव

G.H.V. RAO

उप महाप्रबंधक-परिचालन एवं बिक्री
Deputy General Manager-Operation And Sales

25/6/22

A Kund

(आदर्श कुमार)

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
शाहजहाँपुर 25/6/22

उप प्रभारिता सहायिका
पुष्पायों
वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(रमा कान्त)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
सिधौली रेंज

क्षेत्रीय वनाधिकारी
तिलहर रेंज